न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री [illegible] आर0ए0एस0

[illegible] –	तारीख दायर	तारीख फैसला
[illegible] / वाद पत्र	03.05.2016	23.05.2017

उनवान

1– [illegible] भूरी बेवा मगना खारोल निवासी मोतीपुरा तहसील फूलियाकलां
2–4 [illegible] मनभरी पुत्री मगना खारोल निवासी मोतीपुरा
5– सुखदेव पिता चतरा खारोल निवासी मोतीपुरा (मृतक)
5/1 जगदीश पिता सुखदेव खारोल निवासी मोतीपुरा
5/2 [illegible] पुत्री सुखदेव खारोल निवासी मोतीपुरा
5/3 [illegible] पुत्री सुखदेव खारोल निवासी मोतीपुरा
5/4 [illegible] बेवा सुखदेव खारोल निवासी मोतीपुरा
6–7 लाला, कालू पिता उगमा खारोल निवासी मोतीपुरा

— वादीगण

बनाम

1– रामप्यारी बेवा भूरा खारोल निवासी मोतीपुरा तहसील फूलियाकलां
2–7 धन्ना,सांवरा,छोटू, रंगलाल,लाली,हंजा पिता भूरा खारोल नि0 मोतीपुरा
8– बरदा पिता चतरा खारोल निवासी मोतीपुरा
9– रामलाल पिता बरदू खारोल निवासी मोतीपुरा
10– [illegible]कुंवार पिता मोहनलाल माली निवासी माली खेड़ा
11– बदामी पुत्री मगना खारोल पत्नि जगन्नाथ खारोल निवासी मोतीपुरा
हाल प्रतापपुरा तहसील कैकड़ी जिला अजमेर
12– तहसीलदार, फूलियाकलां

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री त्रिलोक चन्द नोलखा : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 रा0टी0ए0 वि[illegible] प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है वा[illegible] व प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 आपस मे नजदीकी रिश्तेदार है। चतरा की [illegible] हो चुकी है चतरा के पुत्र मगना, सुखदेव वादीगण नं0 5, भूरा, उगमा व [illegible] प्रतिवादी नं0 8 है। मृतक चतरा के बड़े पुत्र मगना की मृत्यु हो चुकी है। [illegible] के भूरी बेवा वादीगण नं0 1 पुत्री मु0 बदामी प्रतिवादी नं0 11 ऐजी, [illegible] मनभरी, वादीगण नं0 2 लगायत 4 है। चतरा के तीसरे पुत्र भूरा की मृ[illegible] चुकी है। भूरा के रामप्यारी बेवा प्रतिवादी नं0 1, धन्ना, सांवरा, छोटू, रं[illegible] प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5 है। पुत्रियाँ लाली, हंजा प्रतिवादी 6, 7 है। चतरा के चौथे पुत्र उगमा की मृत्यु हो चुकी है उगमा के पुत्र लाला व [illegible] वादीगण 6 व 7 है। प्रतिवादी नं0 9 रामलाल का मगना से कोई संबंध न[illegible] [illegible] वादीगण नं0 1 प्रतिवादीगण नं0 9 को गोद

भी वाद पत्र पेश किया जा रहा है। प्रतिवादीगण नं0 12 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। ग्राम मोतीपुरा की जमाबन्दी संवत 2034–37 खाता संख्या 35 मे खातेदार मगना, सुखदेव, भूरा, उगमा, बरदा पिता चतरा खारोल, घीसा पिता गोलू के नाम पर कुल किता 12 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा आराजीयात दर्ज है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के संयुक्त रूप से कब्जे मे होकर उपयोग उपभोग मे आ रही है। ग्राम मोतीपुरा जमाबन्दी संवत 2034–37 के खाता संख्या 34 मे खातेदार मगना, सुखदेव, भूरा, उगमा, बरदा पिता चतरा खारोल, काना, माना, हीरा पिता घीसा के नाम पर कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा आराजीयात दर्ज है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के संयुक्त रूप से कब्जे मे होकर उपयोग उपभोग मे आ रही है। ग्राम मोतीपुरा की जमाबन्दी संवत 2034–37 खाता संख्या 602 मे खातेदार मगना, सुखदेव, भूरा, बरदा पिता चतरा खारोल व लाला, कालू पिता उगमा के नाम पर आराजी नं0 1 से 4/9 से 60/8 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा आराजी दर्ज है। जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के संयुक्त रूप से कब्जे मे होकर उपयोग उपभोग मे आ रही है। ग्राम मोतीपुरा की जमाबन्दी संवत 2034–37 खाता संख्या 85 मे खातेदार मगना, सुखदेव, भूरा,उगमा, बरदा पिता चतरा खारोल के नाम पर आराजी नं0 1 से 4/30 रकबा 4 बीघा आराजी दर्ज है। जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के संयुक्त रूप से कब्जे मे होकर उपयोग उपभोग मे आ रही है। शाहपुरा मे सेटलमेन्ट का कार्य चला जो पूर्ण हो चुका है। पॉचों भाईयो की आराजीयात को सेटलमेन्ट वालो द्वारा बिना अधिकार के विभाजन करते हुए खाते अलग–अलग मन मकसूद तरीके से कर दिये है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था। प्रतिवादी नं0 10 के नाम पर आराजी नं0 153 रकबा 0.28 है0 आराजी बिना अधिकार के दर्ज कर दी जबकि आ0न0 153 पुराने आराजी नम्बर 1–4/30 मी0 से बना है। पुराने आराजी नम्बर पॉच भाईयों के नाम दर्ज थी उनके द्वारा आराजी का बिकाव प्रतिवादी नं0 10 को नही किया गया। प्रतिवादी 10 के नाम से हटाई जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 9 के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश बक्षावे। वादीगण अपने हिस्से व कब्जे वाली आराजीयात को लागत लगाकर विकसित करना चाहते है। पर ऐसा करना विधिक रूप से संभव नही है। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 11 के पक्ष मे व प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 के खिलाफ बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री अमर की जारी कि वाद के पेरा 2 लगायत 5 व 8 मे वर्णित आराजीयात पुस्तेनी होने से पॉचों भाईयो व उनके वारिसान मे विभाजन कराये जाने का आदेश बक्षावे। वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 11 के पक्ष मे व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 10 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद के पेरा नं0 8 मे वर्णित पुस्तेनी आराजीयात गलत ढंग से प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 10 के नाम पर दर्ज कर दी है, को प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 10 किसी भी तरह का हस्तान्तरण स्वयं या परिवार के सदस्यों या नोकरो या ऐजेन्टो से नही करे व न करावे। वादीगण

आराजीयात मे से आ0न0 153 गलत तरीके से दर्ज कर दी उसे प्रतिवादी नं0 10 के नाम से हटाई जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 8 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.09.2016 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण जवाब दावा पेरोकार सरकार के नियत किया गया। प्रकरण दिनांक 23.5.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार – 2017 केम्प अटल सेवा केन्द्र बालापुरा पर वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। वादीगण की तलबी की गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा उपस्थित होकर वादी नं0 5 सुखदेव की मृत्यु हो जाने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 पेश किया जिसके साथ सरपंच ग्राम पंचायत बालापुरा का सुखदेव का वारिसान का सजरा भी पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक वादीगण को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन उनवान के आदेश दिये गये। जिसकी पालना मे संशोधन उनवान पेश किया गया। तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा मौखिक बताया कि प्रकरण मे फोरमल पक्षकार होने से जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है। जिससे उनका जवाबदावा बन्द किया जाता है। साक्ष्य के रूप मे वादिया मु0 भूरी का शपथ पत्र पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात साबिक/हाल जमाबन्दी, मिलान क्षैत्रफल अनुसार वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड से वादपत्र की पुष्टि होती है। जिससे वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 रा0टी0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम मोतीपुरा प0ह0 बालापुरा की जमाबन्दी संवत 2069 से 72 के खाता संख्या 59 कुल किता 10 रकबा 1.71 है0, खाता संख्या 11 कुल किता 3 रकबा 0.60 है0, खाता संख्या 107 कुल किता 4 रकबा 1.19 है0, खाता संख्या 108 कुल किता 4 रकबा 0.27 है0, मे दर्ज प्रतिवादी नं0 9 रामलाल मुत0 मगना खारोल का नाम व हक हिस्सा हटाया जाकर वादीगण नं0 1 लगायत 5 व प्रतिवादी नं0 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी नं0 10 रामकुंवार पिता मोहन माली का नाम ग्राम मोतीपुरा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 96 आ0न0 153 रकबा 0.28 है0 दर्ज के उसे हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ग्राम मोतीपुरा प0ह0 बालापुरा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 59 कुल किता 10 रकबा 1.71 है0, खाता संख्या 11 कुल किता 3

के आधार पर बंटवाड़ा कर नक्शें मे तरमीम के आदेश तहसीलदार, फूलियाकलां को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23.05.2017 को केम्प बालापुरा पर सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉ,जिला–भीलवाड़ा